कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन उ0प्र0, लखनऊ

संख्या–एम0ई0–3/2025/ 357 लखनऊःदिनांक 14 फरवरी, 2025

यू0पी0 नीट पी0जी0–2024 (एम0डी0/एम0एस0/डिप्लोमा/डी0एन0बी0) के अन्तर्गत स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड की ऑन लाईन कांउसिलिंग के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश

1. स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होगे, जिन्हे यू0पी0 नीट पी0जी0 2024 के किसी भी चक्र की कांउसिलिंग से कोई भी सीट आवंटित न हुई हो।
2. स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड हेतु नीट पी0जी0–2024 की ऑल इण्डिया काउंसिलिंग के किसी भी चक्र के माध्मय से प्रवेशित अभ्यर्थी अर्ह नही होगें।
3. यू0पी0 नीट पी0जी0 2024 हेतु पंजीकृत ऐसे अभ्यर्थी, जिनका पंजीकरण शुल्क एवं धरोहर धनराशि किन्ही कारणों जमा नही हो सकी है, वह इस कार्यालय द्वारा स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड हेतु जारी समय–सारिणी में निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क एवं धरोहर धनराशि जमा करते हुए स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड में प्रतिभाग कर सकते है।**(निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों की एम0डी0/एम0एस0 पाठ्यक्रम की सीट हेतु धरोहर धनराशि रू0 2,00,000/– एवं राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों की एम0डी0/एम0एस0/डिप्लोमा/डी0एन0बी0 सीटों हेतु धरोहर धनराशि रू0 30,000/–)**
4. प्रथम/द्वितीय/तृतीय चक्र की कांउसिलिंग में पंजीकृत एवं अनावंटित ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व में धरोहर धनराशि जमा की गयी है, उन्हे स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड की कांउसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पुनः धरोहर धनराशि जमा करने की आवश्यकता नही होगी।
5. स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड से आवंटन प्राप्त समस्त अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय समस्त मूल शैक्षणिक/आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र आवंटित डेण्टल कालेज/नोडल सेन्टर पर प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी के प्रवेश पर विचार नही किया जायेगा।
6. **यदि कोई अभ्यर्थी स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड से आवंटन के पश्चात् प्रवेश नहीं लेता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों की जमा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा यू0पी0 नीट पी0जी0 कांउसिलिंग 2025–26 के लिये प्रतिबंधित कर दिया जायेगा।**
7. **निजी क्षेत्र के गैर अल्पसंख्यक मेडिकल कालेजों के शुल्क निर्धारण संबंधी शासन की विज्ञप्ति दिनांक 28.10.2024 के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या–सी–10329/2024 जी0एस0 मेडिकल कालेज कालेज एण्ड हास्पिटल व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा अन्य सहबद्ध योजित याचिकाओं में मा0 न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 10.01.2025 के अनुक्रम में शुल्क का निर्धारण शासन स्तर पर गठित फीस नियमन समिति के अन्तिम आदेशों के अधीन होगा।**
8. आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को मेडिकल कालेज/नोडल सेन्टर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराया जाना अनिवार्य है।
9. स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड से आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों द्वारा नोडल सेन्टर पर प्रवेश लेने के उपरान्त संबंधित मेडिकल कालेज में रिपोर्ट किया जाना अनिवार्य होगा।
10. निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों में एम0डी0/एम0एस0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि च्वाइस फिलिंग से पूर्व संबंधित कालेज के बारें में सम्पूर्ण जानकारी अपने स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही च्वाइस लाक करें।
11. अभ्यर्थी द्वारा राजकीय/निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज सीटों पर प्रवेश हेतु वरीयता के आधार पर आनलाइन Choice Fill की जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा उन्ही कालेजों की च्वाईस भरी जाये, जिनमें प्रवेश हेतु वह इच्छुक है। आनलाइन च्वाईस फिलिंग की कोई सीमा निर्धारित नही है।
12. **आनलाइन च्वाईस फिलिंग के पश्चात च्वाइस लॉक करना अनिवार्य है। च्वाइस लॉक न करने की स्थिति में अभ्यर्थी को सीट आंवटन की प्रकिया में सम्मिलित नही किया जायेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं अभ्यर्थी का होगा।**
13. **अभ्यर्थी द्वारा च्वाइस लॉक करने के उपरान्त उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव अथवा परिवर्तन नही हो सकेगा और न ही इस संबंध में महानिदेशालय में प्राप्त किसी भी प्रार्थना–पत्र पर विचार किया जायेगा।**

14. स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड की काउंसिलिंग में च्वाईस फिलिंग के समय अभ्यर्थियों को तृतीय चक्र की काउंसिलिंग से अनावंटित (Unallotted)/अप्रवेशित (Not Admitted) एवं त्याग–पत्र (Resign) सीटें Clear-cut Vacancy के तौर पर प्रदर्शित की जायेगी।
15. स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड की काउंसिलिंग में अभ्यर्थियों को Seat Against Cancellation (SAC) का विकल्प भी प्रदर्शित होगा। SAC सीटें एक प्रकार की Virtual Vacancies है, जिसके अर्न्तगत च्वाईस–फिलिंग के समय अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी के रिक्त सीटों के अतिरिक्त अन्य आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी की सीटों का विकल्प भी प्रदर्शित होगा। आवंटन प्रकिया के समय यदि आरक्षित श्रेणी की कोई भी सीट रिक्त रह जाती है, तो ऐसी सीटों को शासनादेश संख्या: I/687326/2024, दिनांक 09.07.2024 में निहित तालिकानुसार आमेलित (Merge) करते हुए आवंटन प्रकिया सम्पन्न की जायेगी।
16. नीट पी0जी0 2024 हेतु नीति निर्धारण विषयक निर्गत शासनादेश दिनांक 09 जुलाई 2024 एवं ब्रोशर में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत ही स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड कांउसिलिंग प्रकिया सम्पन्न करायी जायेगी। अतएव कांउसिलिंग प्रकिया में प्रतिभाग करने से पूर्व शासनादेश एवं ब्रोशर का स्वयं अवलोकन करें।
17. नीट पी0जी0–2024 कांउसिलिंग संबंधी समस्त अद्यतन सूचनाओं के संबंध में ***https://upneet.gov.in*** एवं ***www.dgme.up.gov.in*** पर निरन्तर अवलोकन करते रहें।

कृते महानिदेशक